

न्यायालय: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : मनोज कुमार तिवारी, प्रभारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं०-1656 / 2026

मनीष कुमार बनाम बिहार सरकार

गोरौल थाना कांड सं०-179 / 2025

अधीन धारा-137, 96, 3(5) भारतीय न्याय संहिता।

13.08.2026

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा एक आवेदन दाखिल कर निवेदित किया गया कि अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान के क्रम में आवेदक मनीष कुमार की उक्त कांड में संलिप्तता नहीं पायी गई है और उपरोक्त कांड में आवेदक की गिरफ्तारी की कोई आशंका नहीं है इसलिए आवेदक **मनीष कुमार उम्र-20 वर्ष पेसर-रंजीत सिंह** के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन प्रचालित नहीं करना चाहते हैं उसे वापस लेने की अनुमति दी जाय।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्कों से विद्वान लोक अभियोजक सहमत है। उभय पक्षों के तर्कों एवं उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सं०-1656 / 2026 वापस लिये जाने के आधार पर **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

(मनोज कुमार तिवारी)

प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।